

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय:—मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु कुल 2,66,00,035 /—रु० की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

3545
10/07/18

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इस क्रम में शहरी क्षेत्र की सड़कों पर सुरक्षित आवागमन एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से पथ-प्रकाश की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्य है।

पुनः नित्य विकास की ओर अग्रसर झारखण्ड राज्य में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं एवं बिजली की कमी को देखते हुए ऊर्जा दक्ष तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग समयानुकूल है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अनुमान के अनुसार पारम्परिक स्ट्रीट लाइटिंग को एलईडी में परिवर्तित कर लगभग 50% ऊर्जा की बचत की जा सकती है।

2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-4378 दि०-09.08.2016 के द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर झारखण्ड राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम M/s Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) की मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. वर्तमान में मेदिनीनगर नगर निगम में कुल 2448 स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, जिनमें से 951 LED स्ट्रीट लाइट हैं जबकि 1497 पारंपरिक स्ट्रीट लाइट है। नगर निगम क्षेत्र में कुल 707 खाली पोल है। मेसर्स EESL द्वारा उक्त स्वीकृति के क्रम में मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान एवं खाली पोल पर LED स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन तथा CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए Earthing के प्रावधान हेतु Annuity Model के आधार पर कुल 2,66,00,035 /—रु० का योजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4. मुख्य अभियंता (S&D) कार्यालय, झारखण्ड बिजली वितरण लिमिटेड, रांची के पत्रांक-213 / (S&D) दिनांक-07.05.2018 द्वारा अग्रसारित उक्त योजना हेतु मेसर्स EESL द्वारा तैयार प्राक्कलन पर महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, मेदिनीनगर के द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

(A) Phase I: Replacement of Conventional light with LED Lights (1497 Nos.)					
S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	LED light-190 W	0	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	0
2	LED light-125 W	1377	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	17212500
3	LED light-40 W	120	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	480000
4	Total Cost of LED lights				17692500
5	Infrastructure development charge		@ 10% of S.No.-4		1769250
6	Project Management consultancy		@ 3% of S.No.-4 & 5		583852.5
	Total -		18041042.25	2004560.25	20045602.5

S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	LED light-125 W	141	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	1762500
2	LED light-75 W	354	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	2655000
3	LED light-40 W	212	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	848000
4	Total Cost of LED lights				5265500
5	Infrastructure development charge		@10% of S.No. 4		526550
6	Project Management consultancy		@3% of S. No. 4 & 5		173761.5
	Total -		5369230.35	596581.15	5965811.5

(C) Infrastructure Development Component for Phase I

S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
------	------------------	----------	-------------	---------------	--------------

[Handwritten Signature]

1	Supply & Installation of Pipe Earthing (40 dia 2.5m ling GI pipe for CCMS earthing)	43	2000	1000	129000
Total -			86000	43000	129000
(D) Infrastructure Development Component for Phase II					
S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	Supply & Installation of Pipe Earthing (40 dia 2.5m ling GI pipe for CCMS earthing)	20	2000	1000	60000
Total -			40000	20000	60000
(E) Supervision Cost (@ 15% of Manpower Cost)					Rs. 399621.21
Total Project Cost (A+B+C+D+E)					Rs. 26600035.21/-
SAY					Rs. 2,66,00,035/-

5. उक्त योजना के फेज-I के अन्तर्गत मेदिनीनगर नगर निगम में वर्तमान में लगे हुए 1497 पारंपरिक लाईट को बदलकर LED Light लगाने पर कुल रू० 2,00,45,602/— की लागत आयेगी, जिससे प्रत्येक वर्ष 0.88 MU (Million Unit) ऊर्जा बचत होगी एवं मौजूदा बिजली की दर से रू० 39,62,790/— की बिजली बिल की बचत होगी। साथ ही, 1497 लाईट के रखरखाव पर खर्च होनेवाले अनुमानित रू० 20,00,000/— की बचत होगी। इस प्रकार LED Light के अधिष्ठापन से कुल रू० 59,62,790/— की बचत होगी। इसके बदले मेदिनीनगर नगर निगम द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. को प्रतिवर्ष उक्त बचत राशि में से रू० 52,96,000/— का भुगतान किया जायेगा एवं M/s Energy Efficiency Services Ltd. को भुगतान के उपरांत मेदिनीनगर नगर निगम को प्रतिवर्ष कुल रू० 6,66,790/— की बचत होगी।

6. पुनः उक्त योजना के फेज-II के अन्तर्गत नगर परिषद में अवस्थित खाली पोल पर पारंपरिक लाईट के स्थान पर LED Light के लगाये जाने पर उक्त की भांति बिजली एवं निधि की बचत होगी एवं उक्त क्षेत्र के निवासियों को रात्रि पथ प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा बेहतर होगी तथा व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित 707 खाली पोल पर M/s Energy Efficiency Services Ltd. के द्वारा LED Light के अधिष्ठापन पर कुल 59,65,811/- रू० की लागत आयेगी एवं इसके लिए नगर परिषद द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. को प्रतिवर्ष 16,50,000/— रू० का भुगतान किया जायेगा।

7. उक्त योजना के फेज-I एवं फेज-II अन्तर्गत कुल 2204(1497+707) LED Light हेतु मेदिनीनगर नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष क्रमशः 52,96,000/—रू० एवं 16,50,000/—रू० यानि कुल 69,46,000/—रू० का भुगतान M/s Energy Efficiency Services Ltd. को अगले 07 वर्षों तक किया जायेगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष प्रत्येक LED Light के लिए M/s Energy Efficiency Services Ltd. को 3,152/—रू० का भुगतान किया जायेगा।

8. उक्त योजना के फेज-I एवं फेज-II हेतु CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए Earthing के लिए लागत क्रमशः 1,29,000/—रू० एवं 60,000/—रू० यानि कुल 1,89,000/—रू० तथा योजना का Supervision Cost 3,99,621/—रू० आयेगी, जिसका भुगतान नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा क्रमशः M/s Energy Efficiency Services Ltd. एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० को मेदिनीनगर नगर निगम के माध्यम से Upfront Payment Basis के आधार पर किये गए वास्तविक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।

9. उक्त योजना प्रस्ताव पर विचार हेतु मेदिनीनगर नगर निगम के द्वारा दिनांक--21.12.2016 को Stakeholders एवं दिनांक--15.05.2018 को निकाय बोर्ड की बैठक में उक्त योजना प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है एवं निकाय बोर्ड की बैठक में अगले सात वर्षों तक निकाय द्वारा वहनीय राशि का भुगतान निकाय के आंतरिक आय स्रोत से किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

10. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ MOU किया गया है। मेदिनीनगर नगर निगम हेतु प्राप्त

उक्त प्रस्ताव पर मेदिनीनगर नगर निगम के द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ MoU किया जायेगा, जिसके प्रारूप पर मंत्रिपरिषद झारखण्ड के स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

11. मेदिनीनगर नगर निगम हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत फेज-I एवं फेज-II के साथ-साथ या आगे-पीछे कार्यान्वयन के संबंध में मेदिनीनगर नगर निगम एवं M/s Energy Efficiency Services Ltd. के द्वारा आपसी विचार विमर्श के आधार पर परिस्थितिगत आवश्यकता अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

12. उक्त योजना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची के द्वारा वहनीय व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है:-

मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-लघुशीर्ष-191/789 के अन्तर्गत उपशीर्ष-94-शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ -विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित दोनो प्रक्षेत्र (OSP/SCSP) से की जायेगी।

13. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-4378 दि०-09.08.2016 के प्रावधानों तथा नगर विकास एवं आवास विभाग एवं मेदिनीनगर नगर निगम के साथ हस्ताक्षरित MoU के अनुरूप सेवाएँ प्रदान की जायेगी।


LED Light के अधिष्ठापन के पश्चात् अपेक्षित सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर 2% दंड शुल्क का प्रावधान किया गया है, जो AMC से वसूलनीय होगी। LED Street Light से संबंधित समस्त शिकायतों का निपटारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था अन्तर्गत 48 घंटे के अंदर सर्वश्री EESL के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

14. मेदिनीनगर नगर निगम के द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में LED Light अधिष्ठापित खम्भों पर विज्ञापन, आदि के माध्यम से नियमानुसार राजस्व संसाधन जुटाए जाएँगे, जिनका सर्वप्रथम उपयोग इस व्यवस्था के अन्तर्गत किए जाने वाले भुगतान हेतु किया जाएगा।

15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/न०वि०/विविध (EESL)-114/2016.....
3545

राँची, दिनांक-.....10/07/18


प्रतिलिपि:-अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/न०वि०/विविध (EESL)-114/2016.....
3545

राँची, दिनांक-.....10/07/18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, मेदिनीनगर नगर निगम/अध्यक्ष, मेदिनीनगर नगर निगम/परियोजना निदेशक (प्रशासन), जुडको लिमिटेड/उप सचिव, बजट शाखा/श्री कुणाल, CMM को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई-प्राक्यूरमेन्ट सेल, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100